

न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

पी0ए0 केश नं0- 10/20-21

सनत किस्कू बनाम् रैयान मौजा-बड़ा तेलो

—: आदेश :—

25.02.2025

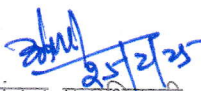
वर्तमान वाद आवेदकगण सनत किस्कू पे0-रसका किस्कू सा0-बड़ा तेलो, अंचल-बोआरीजोर, जिला-गोड्डा के आवेदन पर संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत मौजा-बड़ा तेलो नं0-41 के प्रधानी पद पर नियुक्ति हेतु प्रारंभ किया गया है। वाद विचरण के क्रम में एक अन्य आवेदक स्टीफन किस्कू द्वारा धारा-5 के तहत भी आवेदन दाखिल किया गया है। दोनों आवेदक एक ही मौजा के प्रधान बहाली से संबंधित होने के कारण एक साथ सुनवाई की गई। संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई।

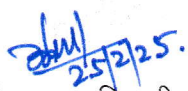
आवेदकगण के विज्ञा अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख में संलग्न कागजात का अवलोकन किया गया।

अंचल अधिकारी, बोआरीजोर ने अपने पत्रांक-792/रा0, दिनांक-07.09.2021 एवं पत्रांक-57/रा0, दिनांक-10.01.2025 के द्वारा जांचोपरांत प्रतिवेदित किया है कि मौजा-बड़ा तेलो के पूर्व प्रधान स्व0 रसका किस्कू की मृत्यु दिनांक-15.05.2024 को हो जाने के फलस्वरूप उक्त प्रधानी पद रिक्त है। आवेदक सनत किस्कू पूर्व प्रधान रसका किस्कू के पुत्र है तथा आवेदक स्टीफन किस्कू जमाबंदी रैयत भीमा किस्कू के वंशज से आते हैं।

तदनुसार आवेदक सनत किस्कू के आवेदन के विरुद्ध उक्त मौजा के 16 आना रैयत से किसी भी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं होने तथा अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-6 के तहत मौजा-बड़ा तेलो नं0-41 का प्रधान आवेदक सनत किस्कू को नियुक्त किया जाता है। चूंकि मौजा-बड़ा तेलो एक प्रधानी मौजा है तथा पूर्व प्रधान की मृत्यु उपरांत प्रधान के वंशज को धारा-6 के तहत प्रधान नियुक्त किये जाने का प्रावधान है। धारा-5 के तहत खास मौजा में प्रधान की नियुक्ति की जाती है। अतः प्रधानी मौजा होने के कारण आवेदक स्टीफन किस्कू को धारा-5 के तहत दाखिल आवेदन खारिज किया जाता है। नवनियुक्त प्रधान सनत किस्कू को आदेश दिया जाता है कि वे एक वर्ष का खजाना कोषागार में जमाकर चालान की प्रति के साथ संधाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम, 1949 की धारा-7 के तहत कबूलियत और जमानत दाखिल कर पट्टा प्राप्त करेंगे। तदनुसार अंचल अधिकारी, बोआरीजोर को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।


अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

F/Order.